

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र०/ऊर्जा विविध BSP(H)CL-43/2025-

/पटना, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि० के अनुषंगी वितरण कम्पनियों (नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०) के अंतर्गत द्वि-स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित किये जाने हेतु मुख्य अभियंता के 02 (दो) पद एवं विद्युत अधीक्षण अभियंता के 02 (दो) पद सृजित करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि० एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों में अभियंताओं (सामान्य एवं जी०टी०ओ० संवर्ग) के लिए पदानुक्रम निम्नवत है:-

मूल पद	सहायक विद्युत अभियंता (AEE)
प्रथम प्रोन्नति	विद्युत कार्यपालक अभियंता (EEE)
द्वितीय प्रोन्नति	विद्युत अधीक्षण अभियंता (ESE)
तृतीय प्रोन्नति	मुख्य अभियंता (CE)

2. वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि० एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों में अभियंताओं के सामान्य संवर्ग एवं उत्पादन-संचरण संगठन (जी०टी०ओ०) संवर्ग के अभियंताओं के लिए स्वीकृत पद एवं वेतनमान निम्नवत है:-

सामान्य वर्ग (बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि० के वितरण कम्पनियों के लिए)

क्र०सं०	पद का नाम	वेतन स्तर	कुल स्वीकृत पद
01	मुख्य अभियंता	स्तर 14	19
02	विद्युत अधीक्षण अभियंता	स्तर 13	90
03	विद्युत कार्यपालक अभियंता	स्तर 11	304
04	सहायक विद्युत अभियंता	स्तर 09	668

वेतन स्तर से संबंधित अनुसूची संलग्न है।

3. Electricity(Right of Consumers)Rules, 2020 में वर्णित प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि० के निदेशक मंडल की 123वीं बैठक में संकल्प संख्या-123-03 द्वारा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० में द्वि-स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम को क्रियाशील किये जाने के निमित्त कंपनी मुख्यालय स्तर पर सामान्य संवर्ग के लिए मुख्य अभियंता के 02 पद (नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०-01 एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी

लिमिटेड-01) एवं विद्युत अधीक्षण अभियंता के 02 पद (नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0-01 एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0-01) सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. (i) अतएव बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 के अनुषंगी वितरण कम्पनियों यथा- नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के अंतर्गत द्वि-स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित किये जाने हेतु मुख्य अभियंता के 02 पद एवं विद्युत अधीक्षण अभियंता के 02 पद सृजित किया जाना आवश्यक है।

कम्पनी का नाम	सृजित होने वाले पद का नाम	पदों की संख्या/संवर्ग	संभावित व्यय (महँगाई भत्ता @55% एवं अन्य भत्ता सहित)
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	मुख्य अभियंता	01 (सामान्य संवर्ग)	1) एक मुख्य अभियंता पद हेतु संभावित मासिक व्यय 2,57,581/- रूपये एवं एक अधीक्षण अभियंता पद हेतु संभावित मासिक व्यय 2,20,349/- रूपये होगा। 2) संभावित कुल मासिक व्यय $2,57,581 \times 2 + 2,20,349 \times 2$ पद = 9,55,860/- रूपये
	अधीक्षण अभियंता	01 (सामान्य संवर्ग)	
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	मुख्य अभियंता	01 (सामान्य संवर्ग)	
	अधीक्षण अभियंता	01 (सामान्य संवर्ग)	
कुल वार्षिक व्यय का योग:- रू0 9,55,860X12=			1,14,70,320/- रूपये
(एक करोड़ चौदह लाख सत्तर हजार तीन सौ बीस) रूपये।			
कंपनी के Delegation of Power के अनुसार वाहन की सुविधा अनुमान्य है।			

(ii) सामान्य संवर्ग के अभियंताओं के लिए मुख्य अभियंता का पद विद्युत अधीक्षण अभियंता एवं विद्युत अधीक्षण अभियंता का पद विद्युत कार्यपालक अभियंता से ठीक ऊपर प्रोन्नति का पद होगा।

5. उक्त आलोक में बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 के अनुषंगी वितरण कम्पनियों (नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0) के अंतर्गत द्वि-स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित किये जाने हेतु मुख्य अभियंता के 02 (दो) पद एवं विद्युत अधीक्षण अभियंता के 02 (दो) पद सृजित करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. इस पद के सृजन के फलस्वरूप 1,14,70,320/- (एक करोड़ चौदह लाख सत्तर हजार तीन सौ बीस) रूपये वार्षिक वित्तीय भार की वृद्धि होगी, जिसका वहन बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 एवं उनके अनुषंगी कंपनी द्वारा किया जायेगा।

7. इसमें वित्त विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-3721 दिनांक-21.04.2026 द्वारा प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

8. उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या- प्र०/ऊर्जा विविध BSP(H)CL-43/2025 के पृष्ठ संख्या-42/टि० पर दिनांक-03.06.2026 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- प्र०/ऊर्जा विविध BSP(H)CL-43/2025 के पृष्ठ संख्या- /टि० पर दिनांक- को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/ऊर्जा विविध BSP(H)CL-43/2025- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/ऊर्जा विविध BSP(H)CL-43/2025- 3064/पटना, दिनांक- 08.06.2026

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि०/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं० लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं० लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना/निदेशक, ब्रेडा, विद्युत भवन-II, पटना/विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, पटना/सचिव, बिहार विद्युत विनियामक आयोग, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।